



**JALAUN POLICE**

**“Operation Conviction”**

**दिनांक 01.07.2026**

पुलिस अधीक्षक जालौन के निर्देशन में मॉनीटरिंग सेल जनपद जालौन एवं थाना एट पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से मा० न्यायालय ए०डी०जे०/गैंगस्टर कोर्ट उरई जनपद जालौन द्वारा 02 अभियुक्तगण को दोषी पाते हुए 05-05 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 20,000-20,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

अभियुक्तगण 1- राज उर्फ आशीष उर्फ सतीश पुत्र महेश अहिरवार ग्राम जमरेही थाना कदौरा 2- रोहित उर्फ गोविन्दा पुत्र रामरतन निवासी ग्राम धनपुरा थाना बिंवार जनपद हमीरपुर के विरुद्ध थाना एट पर मु०अ०सं० 151/23 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया था।

"ऑपरेशन कन्विकशन" के अन्तर्गत मॉनीटरिंग सेल व थाना एट पुलिस द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय ए०डी०जे०/गैंगस्टर कोर्ट उरई जनपद जालौन द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को दोषी पाते हुए 05-05 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 20,000-20,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।



श्री शिवदास पाण्डेय वि०  
लोक अभियोजक गैंग० एक्ट



श्री परमहंस तिवारी  
प्रभारी मॉनिटरिंग सेल



हे०का० संजय कुमार  
कोर्ट मुहरिर



का० कृष्ण कान्त कटारा  
कोर्ट पैरोकार